

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बृजेश सोनकर पुत्र तिलई नि० ग्राम चौबेपुर थाना परशुरामपुर जिला बस्ती के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-328/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मिश्रीलाल पुत्र रजितराम नि० जैनी पकड़िया मौजा नरायनपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-357/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नंगू पुत्र रामजग नि० सुगर फैक्ट्री थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-301/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सूर्य लाल पुत्र सत्य नरायण नि० ग्राम करौंदी मौजा भिटौरा थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-286/21, 02. विजय पुत्र लक्ष्मन नि० नई बस्ती मौजा परसापुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-289/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रभावती पत्नी रामछबीले नि० नई बस्ती थाना मोतीगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-222/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. हृदय सोनकर पुत्र स्व० स्वामी सोनकर नि० इमलिया गुरुदयाल थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 04 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-750/21, 02. नीलम पत्नी स्व० प्रकाश नि० इमलिया गुरुदयाल थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 04 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-751/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 24.09.2021

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजेश पुत्र बड़के नि० ककरहवा मौजा जेठपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—192/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. हे०का० शैलेन्द्र यादव।

02. का० रूपेन्द्र यादव।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.09.2021

नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त श्याम बाबू को गिरफ्तार लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. श्याम बाबू पुत्र ओमप्रकाश नि० ग्राम माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-164/21, धारा 363,366(क),376(2)(3) भादवि, 3/4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एस०सी०एस०टी० एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० रामआशीष मौर्य मय टीम।

